युवा बनेंगे विकास कार्यों में भागीदार
'ई-श्रेणी' पंजीयन के खुले द्वार

- प्रदेश के युवाओं को निर्माण कार्यों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु समस्त विभागों में लागू
- ₹20 लाख तक के कार्य ब्लॉक स्तर पर दिए जाने का प्रावधान
- बेरोजगार युवाओं के लिए अपने विकासखण्ड के विकास कार्यों में सहभागिता का अवसर
- गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्नातकधारी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण बेरोजगार होना अनिवार्य
- ब्लॉक स्तर तथा नगर निगम सीमा क्षेत्र में पंजीयन एवं स्पर्धा के लिए एक इकाई मानकर किया जाएगा

पंजीयन हेतु विस्तृत जानकारी लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है

25 दिसम्बर 2020 से पंजीयन शुरू

http://pwd.cg.nic.in/

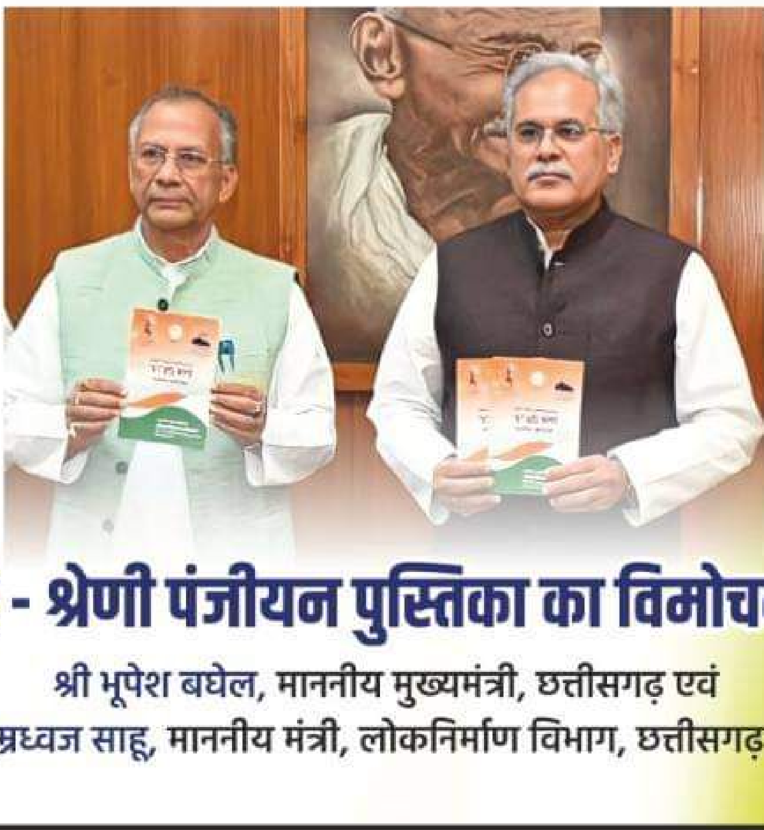

ई - श्रेणी पंजीयन पुस्तिका का विमोचन

श्री भूपेश बघेल, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ एवं

श्री ताम्रध्वज साहू, माननीय मंत्री, लोकनिर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

सेवा-जतन-सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग,
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, निर्माण भवन,
नवा रायपुर अटल नगर जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़)

ज्ञाप क्रमांक/प्र.अ./4980007 /सा./20नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26/12/2020

प्रति,

समस्त कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग
.... संभाग ....

विषय :– एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत 'ई' श्रेणी में पंजीयन।

–0–

छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक एफ 21–8/टी/2012/19/निविदा दिनांक 29.10.2020 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 24.12.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा ब्लॉक स्तर पर स्नातकधारी/हायर सेकेण्ड्री उत्तीर्ण स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत 'ई' श्रेणी में निःशुल्क पंजीयन किये जाने का आदेश जारी किया गया है। 'ई' श्रेणी पंजीयन हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. 'ई' श्रेणी पंजीयन हेतु लोक निर्माण विभाग के समस्त संभागीय कार्यालय को "सुविधा केन्द्र" मनोनीत किया जाता है।
2. 'ई' श्रेणी पंजीयन हेतु आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्र को ऑनलाईन अपलोड करने हेतु 'शून्य' राशि का मनी रसीद काटकर प्राथमिक पंजीयन आई.डी. जनरेट करेंगे।
3. 'ई' श्रेणी पंजीयन हेतु आवेदन पत्र एवं घोषणा पत्र का प्रारूप विभागीय वेब–साईट में अपलोड है, जिसे डाउनलोड कर निःशुल्क आवेदकों को प्रदाय किया जावे।
4. आवेदकों से आवेदन पत्र (प्रारूप–1)/घोषणा पत्र (प्रारूप–2)/स्वप्रमाणित दस्तावेज प्राप्त होने पर कार्यपालन अभियंता द्वारा परीक्षण किया जावेगा तथा परीक्षणोपरांत संलग्न प्रारूप अनुसार प्रमाण पत्र दिया जावेगा कि समस्त दस्तावेज सही पाया गया (प्रारूप–3)।
5. 'ई' श्रेणी पंजीयन प्रकरण विभागीय वेबसाईट https://pwd.cg.nic.in/ पर कार्यपालन अभियंता (सुविधा केन्द्र) द्वारा आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्र समस्त दस्तावेज सहित ऑनलाईन अपलोड कर इस कार्यालय को ऑनलाईन प्रस्तुत किया जावेगा।
6. आवेदकों से आवेदन पत्र ऑनलाईन अपलोड करने हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जावेगा।
7. आवेदन पत्र ऑनलाईन अपलोड कर मूल आवेदन पत्र समस्त स्वप्रमाणित दस्तावेज सहित संभागीय कार्यालय में अभिलेख हेतु संधारित किया जावेगा। कोई भी अभिलेख इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किया जावेगा।

क्रमशः 02

8. आवेदक अपना आवेदन डाक द्वारा अथवा समक्ष में कार्यपालन अभियंता कार्यालय (सुविधा केन्द्र) में उपस्थित होकर, आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। डाक से प्राप्त दस्तावेज का परीक्षण हेतु कार्यपालन अभियंता मूल दस्तावेजों के परीक्षण हेतु आवेदक को पत्र जारी कर, नियत तिथि एवं समय पर बुलायेंगे। यदि आवेदक मूल दस्तावेज सहित उपस्थित होते हैं, तो उसी दिन उसका परीक्षण करेंगे।
9. कार्यपालन अभियंता (सुविधा केन्द्र) द्वारा 'ई' श्रेणी पंजीयन के आवेदन/दस्तावेज का परीक्षण एवं अनुशंसा उपरांत ऑनलाईन अपलोड कर, ऑनलाईन प्रस्तुत करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा दस्तावेज डाउनलोड किये गये अभिलेखों का परीक्षण उपरांत पंजीयन का एक कार्ड जारी किया जावेगा, जिसे रजिस्टर्ड डाक द्वारा आवेदक के पते पर भेजा जावेगा, साथ ही SMS द्वारा आवेदक को ऑनलाईन रजिस्टर्ड मोबाईल पर सूचना दी जावेगी।

26/12/2020

सहपत्र :– (1) प्रारूप–1, 2, 3
(2) सुविधा केन्द्रों की सूची।

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
26/12/2020

पृष्ठांकन क्रमांक/प्र.अ./4980008/सा./20 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26/12/2020
प्रतिलिपि :–

1. **निज सहायक**, माननीय मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. **प्रमुख अभियंता,** जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर
4. **प्रमुख अभियंता,** लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नवा रायपुर अटल नगर
5. **आयुक्त,** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर
6. **आयुक्त,** नगर निगम रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/राजनांदगांव/रायगढ़/कोरबा/कोरिया/महासमुंद/धमतरी/जगदलपुर
7. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,** छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास अधिकरण, रायपुर
8. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,** रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर
9. **मुख्य अभियंता**, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग, रायपुर
10. **मुख्य अभियंता,** लोक निर्माण विभाग .... परिक्षेत्र ....
11. **अधीक्षण अभियंता,** लोक निर्माण विभाग .... मंडल........................

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

26/12/2020

सहपत्र :– ~~सूची~~। उपरोक्तानुसार,

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
26/12/2020

प्रारूप–1

छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत कार्य विभागों / उपक्रमों में ठेकेदारों के "ई" श्रेणी में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

(1)	आवेदक का नाम	:–	....
(2)	पिता / पति का नाम	:–	....
(3)	निवास / पत्राचार का पूर्ण पता	:–	.... ।
(4)	शैक्षणिक योग्यता	:–	....
(5)	विकासखंड का नाम	:–	....
(6)	स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र	:–	ग्राम .... तहसील .... जिला .... (छत्तीसगढ़)
(7)	पेन नंबर (PAN)	:–	....
(8)	जी.एस.टी. नंबर	:–	....
(9)	बैंक खाता नंबर	:–	....
(10)	बैंक का नाम एवं पता	:–	....
(11)	बैंक का IFSC Code	:–	....
(12)	मोबाईल नंबर	:–	....
(13)	ई–मेल का पता	:–	....
(14)	शासकीय / अर्द्ध शासकीय / गैर शासकीय संस्था में कार्यरत हो, तो विवरण	:–	(हाँ / नहीं) (यदि हाँ तो विवरण देवें .... ।

सहपत्रों की सूची :–

(1) शैक्षणिक योग्यता हेतु स्नातक / हायर सेकेण्ड्री उत्तीर्ण प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित प्रति के साथ)
(2) तहसील कार्यालय द्वारा जारी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित)
(3) पेन नंबर (स्वप्रमाणित प्रति के साथ)
(4) जी.एस.टी. नंबर (स्वप्रमाणित प्रति के साथ)
(5) घोषणा पत्र
(6) 02 नग फोटोग्राफ
(7) बैंक स्टेटमेंट (Bank Account Details) (बिन्दु क्रमांक–9 के अनुरूप)

दिनांक :– ....

(आवेदक का हस्ताक्षर)

e:\g sec nv\memo zs 2020 g sec.docx50

प्रारूप–2

घोषणा–पत्र

मैं .... आत्मज/पति श्री ....
आयु .... वर्ष, निवासी .... ब्लॉक ....
जिला .... राज्य छत्तीसगढ़ निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ कि :–

1. मैं किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर शासकीय संस्था में कार्यरत नहीं हूँ।
2. मेरा छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारी हेतु कोई जीवित पंजीयन नहीं है।
3. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी/अभिलेख गलत पाये जाने पर विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी।
4. मैं ई–श्रेणी पंजीयन के लिये छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक एफ/21–8/टी/2012/19/निविदा, दिनांक 29.10.2020 द्वारा जारी आदेश से भली–भांति अवगत हूँ तथा मुझे मान्य है।
5. मेरे द्वारा .... ब्लॉक के अंतर्गत ही कार्य किया जावेगा तथा ई–श्रेणी पंजीयन प्रमाण पत्र का उपयोग मेरे स्वयं के द्वारा ही किया जावेगा अन्यथा पंजीयन निरस्त किया जा सकता है।
6. मुझे अन्य संस्था में रोजगार प्राप्त होने की स्थिति में तथा अन्य श्रेणी में पंजीयन होने की स्थिति में ''ई'' श्रेणी पंजीयन तत्काल समाप्त किया जा सकता है। रोजगार प्राप्त होने की सूचना मेरे द्वारा स्वयं अधिकतम 07 दिनों के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने वाले लोक निर्माण विभाग के संभागीय कार्यालय को दे दी जायेगी।
7. छत्तीसगढ़ में पंजीयन के आधार पर किसी निविदा की कार्यवाही में भाग लिये जाने अथवा इस आधार पर अनुबंध में नियमों के प्रतिकूल की गई कार्यवाही के लिए यदि जिम्मेदारी होगी तथा शासन द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।
8. मेरे द्वारा किसी भी विभाग में कार्य अपूर्ण नहीं छोड़ा गया है।
9. मेरे विरूद्व शासकीय देयता शेष नहीं है।
10. मेरे पंजीयन को किसी भी कार्य विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट/निलंबन/निरस्तीकरण नहीं किया गया है।
11. मैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के स्वरूप से भली–भांति अवगत हूं।
12. मेरा उच्च श्रेणी में पंजीयन होने पर पुराना पंजीयन स्वतः निष्प्रभावी/समाप्त हो जावेगा।
13. मैं स्नातक/हायर सेकेण्ड्री उत्तीर्ण हूं तथा बेरोजगार हूं।

आवेदक का हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं .... आत्मज/पति श्री ....
आयु ...... वर्ष, निवासी .... ब्लॉक ....
जिला .... (छत्तीसगढ़) सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा पत्र की कंडिका–1 से 13 में उल्लेखित तथ्य सत्य व सही है एवं इसका सत्यापन आज दिनांक .... को मेरे द्वारा किया गया है।

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रारूप–3

<u>सत्यापन व अनुशंसा प्रमाण – पत्र</u>

मैं कुमारी/श्रीमती/श्री .... कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग .... संभाग .... एतद् द्वारा सत्यापित करता/करती हूं कि मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से चेक लिस्ट में प्रदर्शित की गई समस्त दस्तावेजों का सत्यापन कर लिया गया है एवं मैं आवेदक कुमारी/श्रीमती/श्री .... के पात्रता से सहमत होकर ''ई'' श्रेणी में आवेदक के पंजीयन की अनुशंसा करता/करती हूं।

आवेदन से संबंधित दस्तावेजों की हार्ड कापी संभागीय कार्यालय के अभिलेख में सुरक्षित रख लिया गया है।

दिनांक :–

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग
.... संभाग ....

"ई" श्रेणी पंजीयन हेतु लोक निर्माण विभाग के समस्त संभागीय कार्यालय (सुविधा केन्द्र) की सूची

1	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायपुर संभाग क्र.–1, रायपुर
2	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायपुर संभाग क्र.–2, रायपुर
3	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायपुर संभाग क्र.–3, रायपुर
4	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग विधानसभा संभाग रायपुर
5	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ भवन संभाग नई दिल्ली
6	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बलौदाबाजार संभाग बलौदाबाजार
7	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग महासमुंद संभाग महासमुंद
8	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी
9	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग गरियाबंद संभाग गरियाबंद
10	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग दुर्ग संभाग दुर्ग
11	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बालोद संभाग बालोद
12	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बेमेतरा संभाग बेमेतरा
13	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग राजनांदगांव संभाग राजनांदगांव
14	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग खैरागढ़ संभाग खैरागढ़
15	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग कवर्धा संभाग कवर्धा
16	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक–1, बिलासपुर
17	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक–2, बिलासपुर
18	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग मुंगेली संभाग मुंगेली
19	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग पेण्ड्रा संभाग पेण्ड्रा
20	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग चांपा संभाग चांपा
21	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग कोरबा संभाग कोरबा
22	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायगढ़ संभाग रायगढ़
23	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर संभाग अंबिकापुर
24	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग रामानुजगंज संभाग रामानुजगंज
25	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सूरजपुर संभाग सूरजपुर
26	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग कोरिया संभाग मनेन्द्रगढ़
27	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग जशपुर संभाग जशपुर
28	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग पत्थलगांव संभाग पत्थलगांव
29	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.–1, जगदलपुर
30	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.–2, जगदलपुर
31	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सुकमा संभाग सुकमा
32	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग दन्तेवाड़ा संभाग दन्तेवाड़ा
33	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बीजापुर संभाग बीजापुर
34	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग कांकेर संभाग कांकेर
35	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग कोण्डागांव संभाग कोण्डागांव
36	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग भानुप्रतापपुर संभाग भानुप्रतापपुर
37	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग नारायणपुर संभाग नारायणपुर

38	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रायपुर
39	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग राजनांदगांव
40	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग जगदलपुर
41	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रायगढ़
42	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग बिलासपुर
43	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग अंबिकापुर
44	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग रायपुर
45	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग जगदलपुर
46	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सुकमा
47	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर
48	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अंबिकापुर
49	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (विद्युत/यॉंत्रिकी) संभाग रायपुर
50	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (विद्युत/यॉंत्रिकी) संभाग दुर्ग
51	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (विद्युत/यॉंत्रिकी) संभाग जगदलपुर
52	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (विद्युत/यॉंत्रिकी) संभाग बिलासपुर
53	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (विद्युत/यॉंत्रिकी) संभाग अंबिकापुर

छत्तीसगढ़ शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, 492002

आदेश

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/10/2020

क्रमांक एफ 21–8/टी/2012/19/निविदा :– राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि, ब्लॉक स्तर पर स्नातकधारी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने तथा स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग किये जाने के उद्देश्य से राज्य में निर्माण कार्यों के ठेके के लिए वर्तमान में लागू एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत **श्रेणी – 'अ', 'ब', 'स', 'द'** के पश्चात, नवीन **"E (ई) श्रेणी"** का समावेश किया जावे। नवीन "E (ई) श्रेणी" में पंजीयन किये जाने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड होंगे:–

(i) जो स्नातक की उपाधिधारी है एवं बेरोजगार हैं, उनका पंजीयन "E" श्रेणी में किया जावेगा। पंजीयन की अवधि 05 वर्ष की रहेगी।

(ii) स्नातक बेरोजगारों को एक वर्ष में अधिकतम 50 लाख तक कार्य उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) पंजीकृत स्नातकधारी से प्रतिस्पर्धा ब्लॉक स्तर पर सीमित होगी।

(iv) स्नातकधारी जिस ब्लॉक के निवासी होंगे, वह उसी ब्लॉक अंतर्गत के कार्यों के लिए प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकेगें।

(v) बेरोजगार स्नातकधारी को पंजीयन के लिए स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र दिया जाना होगा कि आवेदक किसी शासकीय या अर्धशासकीय अथवा गैरशासकीय संस्थानों में सेवारत नहीं है एवं वे बेरोजगार हैं।

(vi) स्नातकधारी का "E" श्रेणी में एकीकृत पंजीयन मुख्य अभियंता (योजना) कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग नार्थ ब्लॉक सेक्टर–19 निर्माण भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) के द्वारा किया जावेगा। पंजीयन एवं अमानत शुल्क सभी वर्ग के लिए निःशुल्क होगा। पंजीयनधारी का रोजगार अन्य संस्था में होने अथवा पंजीयन पश्चात रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में "E" श्रेणी पंजीयन यथाशीघ्र समाप्त किया जायेगा।

(vii) पंजीयन का एक कार्ड जारी किया जायेगा, जिसमें उसके व्यक्तिगत विवरण के साथ कार्य का भी विवरण दर्ज होगा।

(viii) बेरोजगार स्नातकधारी को स्वीकृत/आबंटित कार्य के कुल लागत का 5% तक विभाग द्वारा कार्य प्रारंभ करने के लिए मोबिलाईजेशन एडवांस दिया जावेगा।

(ix) यदि कोई बेरोजगार स्नातकधारी आबंटित कार्य को अधूरा छोड़ देता है, तो उसका पंजीयन रद्द किया जा सकेगा। विभागीय कारणों से अधूरे कार्य इस श्रेणी के लिये लागू नहीं होंगे।

कार्यालय प्रमुख अभियंता
क्रमांक 21
दिनांक 3/11/2020
सहपत्र

(x) "E" श्रेणी में पंजीकृत युवाओं के लिए अधिकतम एकल कार्य की लागत सीमा रू. 20.00 लाख होगी।

(xi) बेरोजगार स्नातकधारी को पंजीयन आवेदन के साथ छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जी.एस.टी. पंजीयन, बैंक एकाउण्ट स्टेटमेंट प्रस्तुत करना होगा।

(xii) पंजीयन व्यक्तिगत/प्रोपाईटरी (फर्मों) के लिए होगी। पार्टनरशीप फर्म एवं कंपनी का पंजीयन "E" श्रेणी में नहीं किया जाएगा।

(xiii) निर्माण कार्यों के लिए वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत संचालित एकीकृत पंजीयन प्रमाणी, ई-पंजीयन का एक भाग होगा, जिस हेतु पंजीयन के लिए समस्त प्रकिया, प्रणाली व नियम निर्देश यथारूप लागू होंगे।

(xiv) प्रस्तुत योजना के लागू होते ही "E" श्रेणी संबंधी समस्त प्रावधान पंजीयन हेतु जारी निर्देश दिनांक 25.01.2014 के लिए यथा संशोधित मान्य किये जायेंगे।

(2) प्रस्तावित नवीन "E" (ई) श्रेणी के अंतर्गत रू. 20 लाख तक की निविदाओं का प्रकाशन जिला स्तरीय (स्थानीय) समाचार पत्रों में अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। प्रचार-प्रसार हेतु इंटरनेट सूचना पटल (online) पर प्रकाशन की अनिवार्यता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त बस्तर सम्भाग के अन्तर्गत रू. 50 लाख तक की अन्य मैन्यूवल पद्धति की निविदाओं में भी यह कंडिका लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

29/10/20
(एस.एन. श्रीवास्तव)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग

पृ.क्र. एफ 21-8/टी/2012/19/निविदा नवा रायपुर अटल नगर, दि.29/10/2020

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. उप सचिव, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव (स्व. प्रभार), छ.ग. शासन, ...(समस्त विभाग) की ओर सूचनार्थ ।
5. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त प्रमुख अभियंता (निर्माण विभाग), छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
7. समस्त संभाग आयुक्त, छत्तीसगढ़।
8. समस्त मुख्य अभियंता (निर्माण विभाग), छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
9. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।

29/10/20
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, 492002

आदेश

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24/12/2020

क्रमांक एफ 21–8/टी/2012/19/निविदा :– राज्य शासन, एतद् द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29/10/2020 द्वारा नवीन **"E (ई) श्रेणी"** में पंजीयन किये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड क्रमांक (i) एवं (iv) में निम्नानुसार संशोधन करता है:–

(i) सामान्य क्षेत्र में जो स्नातक की उपाधिधारी है, एवं बेरोजगार है, तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 4–1/2014/1–3 दिनांक 03.06.2015 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 31.07.2015 द्वारा जारी अनुसूचित क्षेत्रों में जो हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण है, एवं बेरोजगार हैं, उनका पंजीयन "ई" श्रेणी में किया जावेगा। पंजीयन की अवधि 05 वर्ष की रहेगी।

(iv) "E (ई) श्रेणी" में पंजीयन एवं प्रतिस्पर्धा ब्लॉक एवं नगर निगम सीमा तक सीमित रहेगी। (पंजीयन ब्लॉक स्तर पर होगा तथा संबंधित नगर निगम सीमा क्षेत्र को भी पंजीयन के लिए एक इकाई माना जावेगा)

2/ शेष मापदण्ड पूर्ववत यथावत रहेंगे।

3/ उक्त संशोधन, मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 17/12/2020 में अनुमोदित है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

24/12/20
(एस.एन. श्रीवास्तव)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग

24/12/20

पृ.क्र. एफ 21–8/टी/2012/19/निविदा नवा रायपुर अटल नगर, दि. /12/2020

प्रतिलिपि:–

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. उप सचिव, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव (स्व. प्रभार), छ.ग. शासन, ...(समस्त विभाग) की ओर सूचनार्थ ।
5. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त प्रमुख अभियंता (निर्माण विभाग), छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
7. समस्त संभाग आयुक्त, छत्तीसगढ़।
8. समस्त मुख्य अभियंता (निर्माण विभाग), छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
9. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग